jkf"Vª; laLd`r laLFkku

ekfur fo'ofo|ky;
56&57 laLFkkxr {ks=] tudiqjh
ubZ fnYyh&110058

vuqnku lfefr dh cSBd dk dk;ZoÙk

fnukad % 1 vxLr] 2011

le; % 11 cts ¼iwokZgu½

LFkku % jkf"Vª; laLd`r laLFkku eq[;ky;] ubZ fnYyhA

vuqnku lfefr dh fnukad 1-8-2011 dks lEiUu gqbZ cSBd dk dk;Zo`Ùk

राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान की अनुदान समिति की बैठक दिनांक 1 अगस्त, 2011 को संस्थान मुख्यालय में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे।

1. प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी — सदस्य
   कुलपति, रा.सं.सं., नई दिल्ली

2. डॉ. सुदर्शन शर्मा — सदस्य
   कुलपति, एस.वी. वैदिक यूनिवर्सिटी, तिरूपति

3. डॉ. सुधा रानी पाण्डेय — सदस्य
   कुलपति, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार

4. प्रोफेसर पी.एन. शास्त्री — सदस्य
   निदेशक, कालिदास एकेडमी, उज्जैन,

5. प्रोफेसर मानबेंदु बनर्जी — सदस्य
   मानद सचिव, संस्कृत साहित्य परिषद्, कोलकाता

6. श्री पवन मेहता, — मंत्रालय प्रतिनिधि
   अवरसचिव,
   उच्चतर शिक्षा विभाग
   मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार,
   नई दिल्ली

7. आचार्य के.बी. सुब्बरायुडु — सदस्य सचिव
   कुलसचिव, रा.सं.सं., नई दिल्ली

ikQlj] deys'k nÙk f=ikBh rFkk funs'kd ¼foÙk½] ekuo lalk/ku fodkl ea=ky; cBd esa mifLFkr ugha gks ldA Mkå ,lå ,uå frokjh] iHkkjh vf/kdkjh ¼'kks/k ,oa ikdk'ku½ Mkå uknukFk feJ] ofj"B dk;ikyd ¼;kstuk½ cBd esa mifLFkr FksA

dqylfpo egksn;] us mifLFkr lnL;ksa dk Lokxr djrs gq;s cBd dh dk;okgh ikjEHk dhA

fuEufyf[kr fu.k; fy, x,%&

en la[;k-1 vuqnku lfefr dh fnukad 20&21 fnlacj] 2010 dh cBd ds dk;oÙk dh laiqf"VA

गत बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई।

<u>Jh iou egrk] vojlfpo us fiNyh cBd esa lq;Dr ¼Hkk"kk½ }kjk mBk, x, fuEufyf[kr fcanqvksa dh vksj /;ku vkd"V fd;kA</u>

¼**i**½ iR;sd fo|ky; es Nk=ksa dh iosa'k la[;k vkj mldh leh{kk%&

विद्यालयों से प्रतिवर्ष छात्रों की कक्षावार प्रवेश संख्या प्राप्त की जाती है, जिसमें अनु. जाति, अनु. जनजाति, पिछड़ावर्ग, छात्र एवं छात्राओं की संख्या संस्थान निर्धारित प्रपत्र पर मांगता है।

कुलपति ने यह बताया कि नए अनुदान प्रस्तावों के लिए विद्यालय से ये सूचनाएं प्राप्त की जाएंगी।

¼**ii**½ vuqnku lfefr ds dk;oRr dh ekfld leh{kk%&

इस हेतु एक समीक्षा समिति गठित कर इस कार्य को सम्पन्न करने का प्रस्ताव था। क्या ये समिति गठित कर दी गई है और क्या पिछले बैठक के निर्णयों की मासिक समीक्षा की गई।

कुलपति ने यह समिति गठित और बैठक में लिये निर्णयों की मासिक समीक्षा करने का आश्वासन दिया।

¼**iii**½ 'kkL=h ,oa vkpk;Z d{kkvksa ds fo|kfFk;ksa dh fo"k;okj la[;k dk fu/kkj.k%&

पिछली बैठक में यह निर्णय हुआ था कि एक उपसमिति गठित कर इस विषय पर कार्यवाही की जाएगी। क्या ये समिति गठित की गई और क्या उस उपसमिति ने कोई कार्यवाही की।

कुलपति ने यह समिति गठित और बैठक में लिये निर्णयों की मासिक समीक्षा करने का आश्वासन दिया।

¼**iv**½ fdlh Hkh lLFkk dk vuqnku fdl o"kZ esa ikjEHk gqvk vkSj vuqnku esa c<+ksRrjh fdl o"kZ esa gqbZA lkFk gh Nk=ksa dh la[;k esa tks c<+ksRrjh gqbZ mlls c<+h gqbZ la[;k dk vuqnku lfefr dh dk;Z lwph esa mYys[k fd;k tk;A

कुलपति ने आश्वासन दिया कि इस प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए संस्थान में योजना अनुभाग विवरण प्रस्तुत करेगा।

¼**v**½ laxks"Bh] lEesyu vkfn ds fy, vuqnku nsus ls iwoZ iLrkoksa esa ;g mYys[k fd;k tk;s fd xr vuqnku mlsa dc] D;ksa fn;k x;k vkSj fdruk\? orZeku esa vuqnku nsus dh D;k mi;ksfxrk gSA D;k ;g iLrkoksa iFke ckj iLrqr fd;k tk jgk gSA

कुलपति ने आश्वासन दिया कि इन तथ्यों को योजना अनुभाग प्राप्त प्रस्ताव होने पर संस्थान स्तर पर समीक्षा करके प्रस्तुत करेगा।

¼**vi**½ vuqnku of) ds fy, ,d milfefr cukdj mlesa funsf'kdk r\;kj djkbZ tk,A

कुलपति ने आश्वासन दिया कि इस तथ्य की जानकारी योजना अनुभाग प्रस्ताव प्राप्त होने पर समीक्षा करके प्रस्तुत करेगा।

(vii) NGO/ University ds ikIr iLrkoksa ij tks **G.I.A.C** ds le{k j[ks tkrs gS bl ckr dk mYys[k gks fd iLrko iFke ckj ikIr gqvk gS vFkok igys ls Hkh vuqnku fn;k x;k gSA ;fn igys vuqnku fn;k tk pqdk gS rks ,slh lLFkkvksa dk fooj.k fn;k tk,A

कुलपति ने आश्वासन दिया कि इस तथ्य की जानकारी भविष्य में अनुदान समिति की कार्यसूची में दी जाएगी।

अनुदान समिति की कार्यसूची तथा कार्यवृत्त के प्रत्येक पृष्ठ अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। इसका अनुपालन किया जा रहा है।

en la[;k-2 vuqnku lfefr dh cSBd fnukad 20&21 fnlacj 2010] dh cSBd ds dk;ZoÙk ij dh xbZ dk;Zokgh dk vuqeksnu fd;k x;kA

en l[;k-3 ikjifjd lLdr ikB'kkykvk@lLdr egkfo|ky;k@Lo;lsoh lxBuk@lLdr lLFkkuk d lLdr f'k{kd oru ,o Nk=ofÙk e of) rFkk ikIr u, iLrkok ij fopkj ,o LohdfrA

To consider and approve new proposals & increasing of existing grant of Traditional Sanskrit Pathshalas/Sanskrit Mahavidyalas/Voluntary Sanskrit Organizations/Oriental schools salary for Sanskrit teachers and scholarships for the year 2011-12.

Financial Assistance is provided to the Voluntary Sansrkit Organisations/Oriental Schools, Institutions and Pathashalas towards salary of Sansrkit teachers at a rate to be decided by GIAC and Scholarship to meritorious residential students of Sanskrit @ Rs. 300/- P.M. or the rates prescribed by the Sansthan from time to time. The number of Scholarships will be restricted to a maximum of 150 students in order of merit in one institution for this purpose students who have secured 60% or above will be considered. The Scholarship will be tenable for a period of 10 months in an academic year. The Sansthan also provides financial assistance for appointment of part-time teachers/Sanskrit Pracharakas on a remuneration of Rs. 3000/- P.M. The grant is sanctioned on year-to year basis subject to availability of funds and can be discontinued at any time at the discretion of the Sansthan. The amount of grant to an institution can be enhanced provided an application to this effect is received with the recommendation of the State Government, which will be considered by the Sansthan through its GIA committee.

Proposals under this scheme for Financial Assistance will be received by the Rasthriya Sanskrit Sansthan in the prescribed form the registered Voluntary Saskritit Organisation/affiliated Pathshala/Sanskrit Mahavidyalayas through the State Government along with its recommendation. The institutions seeking grant should have been in existence for at least three financial years. The Proposals received from the State Government would be scrutinized and considered by a committee constituted by the Sansthan and placed before the GIAC and according to the recommendations made by the GIA Committee; funds would be sanctioned by the Sansthan to the Instituions.

ikIr lHkh iLrkoka dh lohf{kk fuEu lnL;k }kjk dh xbZ%&

¼1½ ik- jel'k ik.M;]
v/;{k ¼'kk/k@idk'ku½
Jh yky cgknj 'kkL=h lLdr fo|kihB
¼ekfur fo'ofo|ky;½ ubZ fnYyhA

¼2½ iks- ekuosn~z cu thZ]
ekun lfpo]
lLd`r lkfgR; ifj"kn]
dksydkÙkk

¼3½ iks- ds-ch- lqCCkjk;qMq
dqy lfpo]
jkf"Vª; lLd`r lLFkku]
ubZ fnYyh

संवीक्षा समिति ने अनुदान के लिए प्रस्तावों पर विचार करने से पूर्व संस्थाओं का निरीक्षण रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र आदि कागजात को देखकर प्रस्तावों को स्वीकृत किया। अनुदान समिति ने पूर्व संवीक्षा समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार किया, तथा आगामी अनुदान समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि 3 वर्ष तक सुचारू रूप से चलने वाले संस्थानों/विद्यालयों/ के प्रस्तावों पर ही विचार किया जाये। यह निर्णय लिया गया कि:–

(1) अनुदान देने के लिये प्रस्तावों पर विचार करने से पहले संस्थान के द्वारा एक उपसमिति विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित करें। अनुदान समिति ने विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 30 निर्धारित करते हुये अनुदान समिति के अध्यक्ष से इस प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त कर लेने की स्वीकृति दी।

(2) आधुनिक विषय के अध्यापक हेतु वेतन अनुदान देने के लिए स्वीकृति पत्र में विषय का नामोल्लेख अवश्य किया जाये।

en la[;k-4 ikjaifjd lLd`r ikB'kkykvksa@lLd`r egkfo|ky;ksa@Lo;alsoh laxBuksa lLd`r lLFkkvksa esa vk/kqfud f'k{kdksa ds osru vuqnku gsrq o"kZ 2011&12 ds fy, vuqnku ds iLrkoksa ij fopkjA

To consider and approve new proposals of financial assistance to modern teachers in the Sanskrit Pathashalas and Sanskrit Mahavidyalayas for the year 2011-12.

अनुदान समिति ने पूर्व संवीक्षा समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार किया तथा आगामी अनुदान समिति की बैठक में प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया। समिति ने यह विचार व्यक्त किया कि 3 वर्ष तक सुचारू रूप से चलने वाले संस्थानों/विद्यालयों/ के प्रस्तावों पर ही विचार किया जाये। यह निर्णय लिया गया कि:–

अनुदान देने के लिये प्रस्तावों पर विचार करने से पहले संस्थान के द्वारा एक उपसमिति विद्यार्थियों की संख्या तथा प्रस्ताव पर विचार करे।

en l[;k-5 ikjifjd lLd`r ikB'kkykvk@lLd`r egkfo|ky;k d vk/kfud f'k{kdk dh l[;k e c<krjh d fy, vuqnku gr iLrko ij fopkjA

To consider and approve the enhancement in the existing grant under the scheme of financial assistance for modern teachers in traditional Sanskrit Pathashalas, Mahavidyalayas for the year 2011-12.

अनुदान समिति ने पूर्व संवीक्षा समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार किया तथा धन की उपलब्धता होने पर आगामी अनुदान समिति की बैठक में प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया।

en l[;k-6 jkT; ljdkjk d }kjk ljdkjh fo|ky;k e ek/;fed@mPprj ek/;fed lLd`r f'k{kdk dk osru nu d iLrkok ij fopkj ,o vueknu A

To consider and approve application received through respective State Govt. for appointment of One Sanskrit Teacher in Govt. Schools for the year 2011-12.

Under the scheme, Rashtriya Sanskrit Sansthan will provide assistance towards ssalary of one Sanskrit teacher per school at a rate to be decided by GIAC to be appointed in Govt. and Govt. aided High/Higher Secondary Schools where the State Governments are not in a position to provide facilities to do so. A teacher to be appointed under the scheme should be Graduate/Post Graduate degree holder in Sanskrit with a degree/diploma in teaching. Proposal under this scheme will be received by the Rashtriya Snskrit Sansthan in the prescribed proforma from Secondary Schools/Higher Secondary Schools through the respective State Governments with their recommendations. The Proposals received from the State Government would be scrutinized and considered by a committee constituted by the Sansthan and then placed before the GIAC and according to the recommendations made by the Committee; funds would be sanctioned lby the SAnsthan to the Institutions.

अनुदान समिति ने पूर्व संवीक्षा समिति द्वारा की गई अनुशंसा पर विचार किया। धन की उपलब्धता होने पर आगामी अनुदान समिति की बैठक में प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया।

en l[;k-7 'kkL= pMkef.k fo}ku dh fu;fDr d fy, ikIr u, vkonu i=@ vunku iLrkok ij fopkj ,o LohdfrA

To consider and approve the new cases of Shastra Chudamani Scholars for the year 2011-12.

बजट में धन की उपलब्धता न होने के कारण प्राप्त 32 नये प्रस्तावों में पूर्व संवीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित 12 प्रस्तावों को आगामी अनुदान समिति की बैठक में रखा जाये।

en l[;k-8 'kkL= pMkef.k fo}ku dh lok ,d o"k d fy;s c<ku d iLrko ij fopkj ,o vuekuA

To consider and approve extension of Services of 4 Shastra Chudamani Scholars for a period of one year for the year 2011-12 & To report the names of 8 Shastra chudamani Scholars, who were granted extension for 1 year.

एक वर्ष की सेवावृद्धि का प्रस्ताव अनुदान समिति की अगली बैठक में रखा जाये।

en l[;k-9 0;kolkf;d if'k{k.k dk;Øe ;ktuk d vrxr f'kfoj vk;kftr djus d fy, o"k 2011&12 d fy, ikIr iLrkok ij fopkj vkj vuekuA

To consider and approve financial assistance under the scheme of conducting Orientation Course in the Vocational disciplines. for the year 2011-12.

व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं से कर्मकाण्ड, पांडुलिपि संरक्षण, संस्कृत आशुलिपि एवं टंकण, एपिग्राफी, ज्योतिष, आदि से संबंधित 3 सप्ताह का शिविर आयोजन करने के लिए 20 प्रस्ताव प्राप्त हुये है। इन शिविरों को अवकाश के दिनों में संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित करने के लिये अधिकतम रु. 31,200/– दिया जाता है। संवीक्षा समिति द्वारा 20 प्रस्तावों में से 16 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी है, जिनका ¼fooj.k **Annexure 'A'** e layXu gA½ अनुदान समिति ने इन 16 प्रस्तावों को स्वीकृत किया। इस मद में 10 लाख की राशि बजट में उपलब्ध है। कुल रु. 499,200 की राशि इस मद में व्यय होगा। <u>bl if'k{k.k dk;Øe dk 16 lLFkkvk e pyk;k tk,xk] ftldk fooj.k **Annexure 'A'** e layXu gA</u>

en la[;k-10 LofPNd laLd`r laxBuksa@fo|ky;ksa@egkfo|ky;ksa@dks foÙkh; lgk;rk if’pe caxky] vkU/kz izns'k] gfj;k.kk] fgekpy izns’k] dj;y] e/; izns’k] egkjk"V] iatkc jktLFkku] rfeyukMq] jkT; ds dbZ fo|ky;ksa dh fujh{k.k fjiksVZ larks"ktud u gksus ds dkj.k] fo|ky;ksa esa Nk=ksa dh la[;k de gksus ds dkj.k dkQh yEcs le; ls vko’;d nLrkost iszf"kr u gksus ds dkj.k] fo|ky;ksa ds vuqnku can djus ds lEcU/k esa fopkj ,oa vuqeksnuA

The Scrutiny Committee approved the cancellation of grants, as proposed.

संवीक्षा समिति के द्वारा विभिन्न राज्यों के 55 संस्थाओं/विद्यालयों/महाविद्यालयों/आदि के अध्यापक वेतन अनुदान तथा छात्रवृत्ति अनुदान को निरीक्षण रिर्पोट संतोषजनक नहीं होने के कारण, संस्थान के नियमानुसार विद्यार्थियों की संख्या 50 से कम होने के कारण अनेक वर्षों से अनुदान प्राप्त करने के लिये अपेक्षित दस्तावेज न भेजने के कारण आन्ध्रप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, प्रदेशों के अनुदान बंद करने के प्रस्ताव को अनुदान समिति ने स्वीकार किया। वित्तीय वर्ष 2011–12 से इन संस्थाओं को अनुदान नही दिया जाएगा। इस संबंध में विगत वर्षों में संस्थाओं को दिये गए अनुदान की राशि वापस मंगवाने की कार्यवाही संस्थान द्वारा की जायेगी।

en la[;k-11 LofPNd laLd`r laxBuksa@fo|ky;ksa@egkfo|ky;ksa@dh laLFkkvksa ds laLd`r v/;kid osru ,oa Nk=ofÙk] ijaijkxr laLd`r ikB'kkykvksa@laLd`r fo|ky;ksa@egkfo|ky;ksa dks o"kZ 2011&12 ds fy;s vuqnku ds uohuhdj.k] dk vuqeksnuA

To Consider and approve renewal of financial assistance for Sanskrit Teachers and Scholarship for Sanskrit Students of the Traditional Sanskrit Pathashalas/Sanskrit Mahavidyalayas/Voluntary Sanskrit Organizations for the year 2011-12.

संवीक्षा समिति द्वारा अनुशंसित विद्यालयों/स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों/महाविद्यालयों के संस्कृत अध्यापक वेतन, छात्रवृत्ति से सम्बन्धित अनुदान वर्ष 2011–12 के लिये नवीनीकरण प्रस्ताव के संबंध में समिति ने विचार व्यक्त कि ftu fo|ky;ksa dk rhu o"kksZ ds ckn fujh{k.k ugha fd;k x;k gS] mUgsa vuqnku nsus dh Lohd`fr ugha nh tkrh gSA bu fo|ky;ksa dk fujh{k.k djus ds mijkUr fujh{k.k fjiksVZ vxyh cSBd esa vuqnku nsus ds fy;s fopkjkFkZ izLrqr fd;k tk,A **Annexure ‘B’** मे उल्लेखित विद्यालयों का गत तीन वर्ष के बाद निरीक्षण किया जा चुका है। अतः अनुदान समिति ने इन विद्यालयों को वर्ष 2011–12 के अध्यापक वेतन अनुदान और छात्रवृत्ति अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की है। ऐसे विद्यालयों की संख्या 19 राज्यों में 259 है, तथा इन पर रु. 5,96,55,000/– देय होगा। ¼fooj.k **Annexure ‘B’** esa layXu½A

(अ) संवीक्षा समिति के निर्देशानुसार पृष्ठ संख्या 152 क्रम संख्या 153 पर श्रीमती ललिता आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, बेलथरा रोड़, बलिया, पृष्ठ संख्या 154 क्रम संख्या 182, पर राजनाथ पाण्डेय संस्कृत महाविद्यालय, पाण्डेयपुर, तिवारीपुर, वाराणसी (उ.प्र.), पृष्ठ संख्या 151 क्रम संख्या 153 पर किरन शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय, ननहुल, सिकंदरपुर, बलिया (उ.प्र.) के द्वारा राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान की छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत फर्जीवाड़े तरीके से छात्रवृत्ति प्राप्त की गई थी। उपसमिति की अनुशंसा के अनुसार इन संस्थाओं को संस्तुति के आधार पर ब्लैक लिस्ट किया गया और वर्ष 2011–12 से अनुदान बंद करने की स्वीकृति दी गई।

(ब) पृष्ठ संख्या 157 क्रम संख्या 24, पर अंकित रामानुज संस्कृत महाविद्यालय, तोताद्रि मठ, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) के द्वारा विगत 12 वर्षों से रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण प्रमाण पत्र नही दिये जाने के कारण छात्रवृत्ति अनुदान वर्ष 1999–2000 से 2010–11 तक रु. 4,08,000/– का अनुदान नहीं दिया गया। अतः समिति ने निर्णय लिया कि इतनी लंबी अवधि के अनुदान मुक्ति से पहले प्रस्तुत विषय की जाँच एक उपसमिति द्वारा करा ली जाये। उपसमिति में उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि, भगवानदास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार के प्राचार्य तथा राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान से एक प्रतिनिधि होंगे। उपसमिति सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करके यह बतायेगी कि संस्था ने पिछले 12 वर्षों से विद्यार्थियों को अपने स्तर से छात्रवृत्ति प्रदान की है अथवा नही। तथा अन्य विवरण सहित समिति अपनी रिपोर्ट कुलपति महोदय, के समक्ष प्रस्तुत करे, जिसे अनुदान समिति की अगली बैठक में रखा जायेगा।

en l[;k-12 LofPNd lLdr lxBuk@fo|ky;k@egkfo|ky;k@ijijkxr lLdr ikB'kkykvk ¼fooj.k **Annexure 'C'** e lyXu½ d vk/kfud fo"k; v/;kid d oru vunku dk uohuhdj.k o"k 2011&12 d fy;] vuekunA

To Consider and approve renewal of financial assistance for Modern Teachers of the Traditional Sanskrit Pathashalas/Sanskrit mahavidyalayas/Vountary Sanskrit Organizations **(details enclosed Annexure 'C')** for the year 2011-12.

The objective of this is to make the traditional study of Sanskrit more purposeful from the point of view of acceptability and employability of the students passing out of Pathashalas and to bring about fusion between the traditional and modern systems of Sanskrit education. Also this will encourage the students to pursue a course of study in traditional Sanskrit Pathashalas with traditional facilities to learn modern subjects in Pathashalas. The Fianancial Assistance under this scheme will be restricted to Traditional Sanskrit Pathashala/ Mahavidyalaya imparting Sanskrit teaching on traditional lines only. The Sansthan will provide Financial Assistance for appointment of a maximum of three teachers in modern subjects at a rate to be decided by GIAC from time to time. The teacher should be fulfilling eligibility criteria prescribed

by the respective State Government for appointment in school in the Sate at corresponding level. Proposal under this scheme will be received by the Rashtriya Sansrkit Sansthan in the prescribed form from the registered/affiliated Pathshala/Sanskrit Mahavidyalays through the State Governments. The institutions having less than three years after registration and having an experience in the field of Development of Sanskrit of less than 3 years are not eligible to apply for financial assistance. The proposals received with the recommendation of the State Government would be scrutinized and considered by a committee constituted by the Sansthan and then placed befor the GIAC and athe recommendations made by the Committee; funds would be sanctioned by the Sansthan to the Institutions.

In addition, financial assistance for honorarium fro a part time computer teacher @ Rs. 3,000/- per month may also be provided to traditional Sanskrit Pathshalas.

जिन संस्थाओं की प्रगति तथा निरीक्षण प्रतिवेदन संतोषजनक है, उन्हें अनुदान समिति ने आधुनिक अध्यापक वेतन अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की। bl en e 15 jkT;k d 134 lLFkkvk e 222 vk/kqfud v/;kidk d fy, #- 1]59]84]000@& vuqnku n; gkxkA ¼fooj.k **Annexure 'C'** e lyXu½A

en l[;k-13 jkT; ljdkjk d }kjk lpkfyr lsd.Mjh@gk;j ld.Mjh Ldy dk lLdr v/;kid oru dk uohuhdj.k o"k 2011&12 d fy;s vuqeksnuA

To Consider and approve renewal of financial assistance for Sanskrit teachers in Secondary/Higher Secondary Schools run by respective State Governments for the year 2011-12. ¼fooj.k **Annexure 'D'** e lyXu½A

Under the scheme, Rashtriya Sanskrit Sansthan will provide assistance towards salary of one Sanskrit teacher per school at a rate to be decided by GIAC to be appointed in Govt. And Govt. aided High/Higher Secondary Schools where the State Governments are not in a position to provide facilities to do so. A teacher to be appointed under this scheme should be Graduate/Post Graduate degree holder in Sanskrit with a degree/diploma in teaching. Proposal under this scheme will be received by the Rashtriya Sanskrit Sansthan in the prescribed proforma from secondary Schools/Higher Secondary Schools through the respective State Governments with their recommendations.

अनुदान समिति ने यह पाया कि संवीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित राज्य सरकार, सिक्किम के प्रस्तावों में विद्यालयों की सूची में छात्र संख्या का निर्देश नही किया गया है। अत: जिन विद्यालयों की सामने छात्र संख्या का निर्देश नहीं है, उनसे छात्र संख्या का विवरण प्राप्त करके उनके अनुदान निर्गत किये जाये। शेष विद्यालयों के अनुदान पूर्व संवीक्षा समिति के संस्तुति के अनुसार दिये जायें। राज्य सरकारों के द्वारा संचालित राजकीय सेकेण्डरी/हायर सेकेण्डरी स्कूलों में प्रत्येक में एक संस्कृत

अध्यापक के वेतन अनुदान पर कुल रु. 75,60,000/– व्यय होंगे। इस मद में कुल 4 राज्यों (छत्तीसगढ़, सिक्किम, आसाम तथा हरियाणा) के 105 विद्यालयों को वेतन अनुदान दिा जाएगा।

en l[;k-14 LofPNd lLdr lxBuk@fo’ofo|ky;k vkfn dk fof’k"V ifj;ktuk dk;l d fy, foRrh; lgk;rk nu ij fopkj vkj vuekmuA

To Consider application received from various NGO’s/ Sanskrit Universities/Individual for financial assistance for the year 2011-12.

संस्थान के नियमानुसार इस योजना के अंतर्गत अनुमोदित व्यय का शत–प्रतिशत अनुदान संस्कृत के विकास और प्रचार के लिये अनुदान के रूप में दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत वैदिक संस्कृत विद्वानों का सम्मान, विद्वत सभा का आयोजन, संस्कृत समारोह, संस्कृत की सांध्य कक्षायें प्रशिक्षण वर्ग सेमिनार और संस्कृत से संबंधित विकास के लिये रिसर्च प्रोजेक्ट के प्रस्तावों पर उन संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है, जो लगातार तीन वर्षों से संस्कृत विकास के लिये कार्य कर रहे है।

अनुदान समिति ने पूर्व संवीक्षा समिति के अनुमोदन के अनुसार बजट में धनराशि की उपलब्धता न होने के काण सभी प्राप्त नये 22 प्रस्तावों को निरस्त कर दिया। बजट में उपलब्ध रु. 50,00,000/– की धनराशि को गत–वर्षों से चल रहे इस मद के कार्यक्रमों के लिये अनुदान देने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

en l[;k-15 jkf"V; lLdr lLFkku dh vHkkoxLr fLFkfr e fo[;kr ifMrk dk foÙkh; lgk;rk ;ktuk d vUrxr ikIr lEeku jkf'k inku dju d u, iLrko d lEcU/k eA

To consider and approve the new cases of Samman Rashi.

संवीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित अभावग्रस्त पंडितों के प्राप्त नये प्रस्तावों को अनुदान देने की स्वीकृति अनुदान समिति ने प्रदान की। अभावगस्त पंडितों की सूची ¼**Annexure ‘E’** e lyXu gA½ ऐसे अभावग्रस्त पण्डितो की संख्या 5 तथा कुल देय सम्मान राशि 1.20 लाख। @ रु. 24,000/– प्रति पंडित प्रति वर्ष के हिसाब से है।

en l[;k-16 nhughu fLFkfr e fo[;kr lLdr ifMrk dk foRrh; lgk;rk ;ktuk d vrxr fiNy vud o"kk l fuxr ugh fd, x, vunku iLrkok ij fopkjA

Grants of Samman Rashi To Eminent Sanskrit Pundits who are in indigent circumstances.

संवीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित अभावग्रस्त पंडितों के लंबित अनुदान के प्रस्तावों पर ¼fooj.k **Annexure 'F'** e l yXu gA½ अनुदान समिति ने बकाया राशि के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की और निर्देश दिया कि विलंब से आवेदक द्वारा प्रस्ताव भेजने के कारणों की समीक्षा कर ली जाये। इस मद में अनुदान हेतु राशि उपलब्ध है।

en l[;k 17 **संस्कृत वाङ्मय सृजन योजना के अन्तर्गत सन्दर्भग्रन्थ, मूललेखन, शोध प्रबन्ध, अनुवाद आदि से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों पर विचार।**

To consider and approve proposals of authors for publication grant under the scheme of Production of Sanskrit Literature.

इस योजना के अन्तर्गत 80 प्रतिशत की अनुदान राशि मौलिक कार्य के लिए तथा 50 प्रतिशत की अनुदान राशि शोध कार्य के लिए दी जाती है। अनुदान समिति की स्वीकृति के पश्चात् 500 प्रतियों को प्रकाशित करने की स्वीकृति दी जाती है। पुस्तक का मूल्य-निर्धारण राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एन.बी.टी.) के द्वारा किया जाता है। अनुदान ग्राही के द्वारा मौलिक कार्य हेतु 50 पुस्तकें तथा शोध कार्य हेतु 25 पुस्तकें निर्धारित पुस्तकालयों को निःशुल्क भेजना अनिवार्य है।

Scrutiny Committee द्वारा स्वीकृत उक्त प्रस्ताव पर अनुदान समिति द्वारा विचार किया गया। इस योजना के अन्तर्गत कुल 28 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जो विषय-विशेषज्ञ के समक्ष कार्य की उपयोगिता की दृष्टि से मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत किये गये। विषय-विशेषज्ञों ने 28 प्रस्तावों में से 24 प्रस्तावों को अपनी स्वीकृति प्रदान की, जो कि अनुदान समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुदान समिति ने विषय-विशेषज्ञों द्वारा स्वीकृत 24 प्रस्तावों के प्रकाशन की स्वीकृति दी। ¼fooj.k **Annexure 'G'** e l yXu½A इस मद में कुल रु. 25,11,427 की राशि देय होगी।

en l[;k 18 **पुस्तक क्रय योजना के अन्तर्गत लेखकों, प्रकाशकों, पुस्तक-विक्रेताओं, संगठनों आदि से संस्कृत साहित्य से सम्बद्ध पुस्तकों की प्रतियाँ थोक (Bulk) में क्रय करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों पर विचार।**

To consider and approve proposals of different scholars / publishers / booksellers for purchase of books in bulk under the scheme of Purchase of books on Sanskrit literature.

इस योजना के अन्तर्गत लेखकों, प्रकाशकों, पुस्तक-विक्रेताओं, संगठनों आदि से संस्कृत साहित्य से सम्बद्ध पुस्तकों की प्रतियाँ थोक में क्रय कर उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अन्तर्गत केवल ऐसी पुस्तकें सम्मिलित की जाती हैं जिनको किसी अन्य संस्था से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी गयी हो। आवेदक निर्धारित आवेदन-पत्र के साथ पुस्तक की दो प्रतियाँ संस्थान को प्रस्तुत करता है। इनको अनुदान समिति के समक्ष क्रय की स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किया गया:-

(अ) Scrutiny Committee द्वारा सभी 25 प्रस्तावों पर दी गयी अनुशंसा के अनुसार अनुदान समिति द्वारा स्वीकृति दी गई। थोक में क्रय के लिए स्वीकृत प्रस्तावों का ¼fooj.k **Annexure 'H'** esa layXu gSA½

(ब) Scrutiny Committee द्वारा कार्यसूची पृष्ठ संख्या 249-284 हेतु एक उप-समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया है। अनुदान समिति द्वारा इस विषय पर चर्चा की गई। तद्नुसार उप-समिति के गठन हेतु कुलपति, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान को अधिकृत किया गया।

en la[;k 19 **संस्कृत पत्र / पत्रिकाओं के लिए वार्षिक अनुदान निर्गत करने के सम्बन्ध में विचार।**

To consider and recommend continuation of release of annual publication grant to Sanskrit Journals / Newspapers.

इस योजना के अन्तर्गत संस्कृत पत्र / पत्रिकाओं के लिए वार्षिक अनुदान दिया जाता है -

(अ) Scrutiny Committee द्वारा अनुशंसित सभी 33 संस्कृत पत्र / पत्रिकाओं को अनुदान दिये जाने हेतु अनुदान समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है। ¼fooj.k **Annexure 'I'** esa layXu gSA½ bl en esa dqy #- 9]56]800@& dh jkf'k dk vuqnku ns; gksxkA

(ब) Scrutiny Committee द्वारा डॉ. मदन मोहन पाठक द्वारा सम्पादित 'भास्करोदय:' वार्षिक पत्रिका हेतु वार्षिक अनुदान राशि 20,000/- रूपये की संस्तुति की अनुदान समिति ने स्वीकृति प्रदान की।

en la[;k 20 **पुनर्मुद्रण योजना के अन्तर्गत 32 दुर्लभ ग्रन्थों के प्रकाशन पर विचार।**

To consider publication of 32 Rare Books under Reprint Scheme.

Scrutiny Committee द्वारा 32 दुर्लभ ग्रन्थों के प्रकाशन की संस्तुति प्रदान की गयी है। अनुदान समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि उपलब्ध Budget प्रावधान के अनुसार क्रमश: पुनर्मुद्रण किया जाय। पुस्तक का मूल्य-निर्धारण एन.बी.टी. द्वारा कराया जाय।

en l[;k 21 **वामन शिवराम आप्टे का संस्कृत हिन्दी कोश (छात्र संस्करण) के पुनमुर्द्रण हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर विचार।**

To consider publication of Sanskrit Hindi Kosh (Student Edition) written by Vaman Shivaram Aapte.

अनुदान समिति ने सुझाव दिया कि संस्कृत-हिन्दी-कोश का पुनर्मुद्रण अतिशीघ्र राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के द्वारा किया जाय तथा इसका मूल्य-निर्धारण एन.बी.टी. द्वारा कराया जाय।

en l[;k 22 **प्रो. प्रभाकर नारायण कवठेकर द्वारा रचित 'भूलोक विलोकनम्' के खण्ड 7-10 के प्रकाशन हेतु अनुदान देने पर विचार।**

To consider publication of 'Bhulok Vilokanam, Volume 7-10' written by Prof. Prabhakar Narayan Kavathekar.

समिति ने सुझाव दिया कि इन पुस्तकों को प्रकाशित करने पर विचार करने हेतु गठित उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

अतिरिक्त मद संख्या 1: दुर्लभ अप्रकाशित ग्रन्थों के पुनर्मुद्रण पर विचार।

To consider reprint of Rare Unpublished Books.

समिति ने सुझाव दिया कि इन पुस्तकों को प्रकाशित किये जाने हेतु गठित उप-समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

अतिरिक्त मद संख्या 2: ऑल इंडिया काशीराज ट्रस्ट, वाराणसी के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर विचार।

To consider the publication grant of All India Kashiraj Trust, Varanasi.

समिति ने सुझाव दिया कि पूर्व में दिये गये अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसको उप-समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

(Prof. K.B. Subbarayudu)
Member Secretary